माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केंद्र ग्वालियर म.प्र.।

प्रकरण क्रमांक /08 नि. RS75-B/08 (77)

Presented by Shri Qureshi Advocate for applicant. 12/8/08 Member

1. आशिक अली पिता मसीत अली
2. इम्तियाज अली पिता मसीत अली
3. मेहराज अली पिता मसीत अली
4. अनवर अली पिता मसीत अली

समस्त निवासीगण :- ग्राम मालीखेडी, खुरचना तहसील - महिदपुर जिला उज्जैन।

- आवेदकगण।

R

विरूद्ध

1. शकूरखां पिता हनीफ खां
2. हबीब खां पिता हनीफ खा
3. मजीत खां पिता हनीफ खां
4. बाबू खां पिता रसीद खां

समस्त निवासीगण :- मालीखेडी, (खुरचना) तहसील महिदपुर जिला उज्जैन म.प्र.।

- अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 50 भू. राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधिनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के प्र.क्र. अ-13/07-08 में पारित आदेश दिनांक 7.8.2008 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत करते हैं :-

1. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी एवं मौके की स्थिति के विपरित होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं।

(3)

2/-

XXIX(a)-BR(H)-11

77

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-975-दो/08 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। 3 **प्रशासकीय सदस्य**	